भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1225

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

डिजिटल भुगतान की साइबर सुरक्षा

1225. श्री रिचर्ड वनलालह्मंगइहा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) और सरकार ने डिजिटल भुगतान क्षेत्र की साइबर सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। आरबीआई ने वेब और मोबाइल ऐप के खतरों से निपटने के लिए फरवरी, 2021 में डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश जारी किए थे। ये दिशानिर्देश बैंकों को इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतान आदि जैसे विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए सुरक्षा नियंत्रणों के सामान्य न्यूनतम मानकों को कार्यान्वित करने के लिए अधिदेशित करते हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई लेनदेन से संबंधित साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए, ग्राहक के मोबाइल नंबर और डिवाइस के मध्य डिवाइस बाइंडिंग, पिन के माध्यम से द्विस्तरीय प्रमाणीकरण, दैनिक लेनदेन सीमा, उपयोग के मामलों पर सीमा और अंकुश आदि के लिए अधिदेशित किया है। इसके अतिरिक्त, एनपीसीआई एआई / एमएल आधारित मॉडल का उपयोग करके अलर्ट उत्पन्न करने और लेनदेन को अस्वीकार करने के लिए सभी बैंकों को धोखाधड़ी निगरानी समाधान प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक भी लघु एसएमएस, रेडियो अभियान, 'साइबर अपराध' की रोकथाम आदि के संबंध में प्रचार के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं।

इसके अलावा, नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी सहित किसी भी साइबर घटना की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर "1930" की शुरुआत की थी। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एक डिजिटल आसूचना मंच (डीआईपी) और 'चक्षु' सुविधा शुरू की थी जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी संप्रेषण की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाती है।

*****